उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-578/2025/586के-2/22-3-25-17(778)/23

लखनऊ : दिनांक: 10 दिसम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सोनी देवी (बन्दी संख्या-84/21) पुत्री श्री रामप्रकाश व पत्नी श्री नीरज, निवासिनी-रसधान, थाना-सिकन्दरा, जनपद-कानपुर देहात, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-19/2014 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 की धारा-4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (14वां वित्त आयोग), कानपुर देहात के आदेश दिनांक 31-08-2021 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 15-05-2022 तक भोगी गई 01 वर्ष, 04 माह, 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष, 06 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा, रजिस्टर नं0-1 के अनुसार आयु लगभग 23 वर्ष, अच्छा जेल आचरण होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के कारण सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा संस्तुति किये के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

3- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

5- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-14/2025 परदेशी (CPVNS 42225) व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-01-2025 के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।